



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231014
CG-DL-E-11112021-231014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]
No. 69]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

आ.अ. 71(अ).—यतः, पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित सुश्री अर्पिता घोष का स्थान जिनकी पदावधि 02.04.2026 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र देने के कारण 15.09.2021 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 01 दिसम्बर, 2021 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्देशित बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 16 नवम्बर, 2021 (मंगलवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 17 नवम्बर, 2021 (बुधवार);

- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 22 नवम्बर, 2021 (सोमवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 29 नवम्बर, 2021 (सोमवार); और
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 01 दिसम्बर, 2021 (बुधवार); नियत करता है; और
- (इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं. 100/रा.स.- पश्चिम बंगाल/11/2021(1)]

आदेश से,
सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi the 9th November, 2021

O.N. 71(E).—WHEREAS, the seat of Ms. Arpita Ghosh, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal, has become vacant on 15.09.2021 by the reason of her resignation, before the expiration of her term of office which was up to and including 02.04.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal to elect, before 01st December, 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- (a) the 16th November, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 17th November, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 22nd November, 2021 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 29th November, 2021 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 01st December, 2021 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/CS-WB/11/2021(1)]

By Order,
SUMAN KUMAR DAS, Secy.